	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 15, शुक्रवार, शाके 1943–अगस्त 6, 2021 *Sravana 15, Friday, Saka 1943- August 6, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 1, 2021

जी.एस.आर.318 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन)(संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये 01.07.2021 से प्रवृत हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 2 का संशोधन .- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के विद्यमान उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (5) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''(5) भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण केवल उनके लिए अनुज्ञेय होगा जो राज्य में बस गये हैं।''

3. नियम 3 का संशोधन .- उक्त नियमों के नियम 3 के खण्ड (क) में,-

(i). विद्यमान अभिव्यक्ति ''वह व्यक्ति अभिप्रेत है'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो राज्य में बस गया है और '' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii). विद्यमान उप-खण्ड (v) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्.-

''स्पष्टीकरण: अभिव्यक्ति ''व्यक्ति जो राज्य में बस गया है'' से ''व्यक्ति जो राज्य का मूल निवासी है'' अभिप्रेत है।

[सं. एफ 5(18)डीओपी/ए-II/84 पार्ट IV]

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.-II
NOTIFICATION
Jaipur, August 1, 2021

G.S.R.318 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01.07.2021.

2. Amendment of rule 2.- After the existing sub- rule (4) of rule 2 of the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, hereinafter referred to as the said rules, the following new sub-rule (5) shall be added , namely:-

"(5) Reservation to ex-servicemen will be admissible to only those who have settled in the State ."

3. Amendment of rule 3.- In clause (a) of rule 3 of the said rules,-

(i) for the existing expression "person who", the expression "person settled in the State and who" shall be substituted.

(ii) after the existing sub-clause (v), the following Explanation shall be added, namely:-

"**Explanation :** The expression 'person settled in the State' shall mean 'the person who is bonafide resident of the State."

[No. F. 5(18) DOP/A-II/84 pt. IV]
By Order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।